उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन
चालंग हिल्स, पो॰ऑ॰–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
वेबसाईटः–urtsc.uk.gov.in, ई–मेलः–ukrtsc@gmail.com

पत्रांकः– 545 / C-KL2310200707USN   दिनाँकः 22 मार्च, 2024

सेवा में,

1. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, मानपुर पश्चिम, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।
2. पदाभिहित अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला–ऊधम सिंह नगर।
3. श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री जसवंत सिंह, मोहल्ला–पट्टी चौहान, जसपुर, जिला–ऊधम सिंह नगर।

कृपया शिकायत सं॰ C-KL2310200707USN पर आयोग द्वारा दि॰ 21.03.2024 को दिये गये आदेश की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

22/3/2024

(एस॰एम॰ कण्डवाल)
सहायक रजिस्ट्रार।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन
चालंग हिल्स, पो॰ऑ॰—कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
वेबसाईटः—urtsc.uk.gov.in, ई—मेलः—ukrtsc@gmail.com

समक्षः— भूपाल सिंह मनराल, आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग देहरादून।

पंजीकरण सं॰ः— C-KL2310200707USN

अपीलकर्ता / शिकायतकर्ताः— श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री जसवंत सिंह, मोहल्ला—पट्टी चौहान, जसपुर, जिला—ऊधम सिंह नगर।

बनाम

प्रतिपक्षीः— पदाभिहित अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला—ऊधम सिंह नगर।

आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता श्रीमती राजकुमारी ने अपनी ऑनलाईन शिकायत दि॰ 20.10.2023 के माध्यम से विगत 01 वर्ष से वृद्धावस्था पेंशन न मिलने के संबंध में शिकायत की। आयोग द्वारा शिकायत का स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग के पत्र संख्याः 1419, दि॰ 06.11.2023 अनुस्मारक—पत्र संख्याः 97, दि॰ 17.01.2024 के माध्यम से पदाभिहित अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर से प्रकरण में आख्या माँगी गयी, परंतु जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। तदोपरांत आयोग के आदेश दि॰ 06.03.2024 के माध्यम से पदाभिहित अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को प्रकरण में अनुपालन आख्या सहित दि॰ 21.03.2024 को सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर अथवा अपने किसी भिज्ञ प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुसंगत सूचनाओं सहित उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।

2. यह खेदजनक है कि पदाभिहित अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा प्रकरण में आयोग के पत्र का न तो कोई प्रतिउत्तर दिया गया और न ही वो स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि आज सुनवाई में उपस्थित हुआ तथा सुनवाई में उपस्थित न होने के संबंध में अपना कोई पत्र दिया गया। इस प्रकरण में जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर की अत्यधिक लापरवाही एवं उदासनीता प्रदर्शित हुई है।

3. उपरोक्त के क्रम में पदाभिहित अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अपेक्षा की जाती है कि वे अगली सुनवाई में निम्न बिंदुओं पर सुस्पष्ट सूचनाओं सहित व्यक्तिगत तौर पर अथवा अपने किसी भिज्ञ प्राधिकृत प्रतिनिध को बिंदुवार सुसंगत सूचनाओं सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें:—

(1) आयोग के पत्र का समयांतर्गत उत्तर न दिये जाने एवं प्रकरण में दि॰ 06.03.2024 को सुनवाई में उपस्थित न होने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें।

(2) आवेदिका श्रीमती राजकुमारी के प्रकरण में बिंदुवार आख्या एवं अद्यतन स्थिति।

4. उपरोक्त प्रकरण पर अगली सुनवाई **दि॰ 28.03.2024 को अपराह्न 02:00 बजे** को नियत। यदि उक्त तिथि को आहूत सुनवाई में पदाभिहित अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर आयोग के समक्ष स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होने की

दशा में आयोग द्वारा पदाभिहित अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आरंभ करने की बाध्यता होगी।

5. आदेश की प्रति उभयपक्षों सहित निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जिला–नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

दिनाँकः 21.03.2024।

(भूपाल सिंह मनराल)
आयुक्त।